दिनांक 26 जून, 1987

स. ओ. वि. सोनी/51-87/25036.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० एटलस साईकिल इण्डस्ट्रीज लि०, सोनीपत, के श्रमिक श्री प्रताप सिंह, पुत्र श्री जय सिंह, मार्फत भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, सोनीपत, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है।

क्या श्री प्रताप सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं ही कार्य से गैर-हाजिर रह कर नौकरी से अपना पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन)/खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. सोनी/52-87/25043.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० एटलस साईकिल इण्डस्ट्रीज लि०, सोनीपत, के श्रमिक श्री रमेश चन्द्र, पुत्र श्री कंवर सिंह, मार्फत भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, सोनीपत, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :--

क्या श्री रमेश चन्द्र की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं ही कार्य से गैर-हाजिर रह कर नौकरी से अपना पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 29 जून, 1987

सं. ओ. वि. हिसार/85-87/25243.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म (सैण्टर स्टेट फार्म), हिसार, के श्रमिक श्री मंगल सिंह, पुत्र श्री सन्तु सिंह अकुशल श्रमिक, गांव व डा० जुगलान, तह० व जि० हिसार, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :--

क्या श्री मंगल सिंह, अकुशल श्रमिक, की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से लियन खोया है ? इस बिन्दु के निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि. अम्बा/51-87/25250.--चूंकि हरियाणा राज्यपाल की राय है कि मैं० (1) निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़, (2) मुख्य अध्यापक, राजकीय उच्च-विद्यालय बिजलपुर, तह० व जि०, अम्बाला के

श्रमिक श्री अशोक कुमार, स्वीपर, पुत्र श्री राम चन्द, गांव बिजलपुर, तह० व जि० अम्बाला, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 (44) 84-3 श्रम दिनांक 17 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री अशोक कुमार, स्वीपर, की सेवा समाप्ति/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 14 जुलाई, 1987

सं. ओ. वि. एफ.डी./69-87/27128.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० इलैक्ट्रोनिक्स लि., एन. आई. टी. फरीदाबाद, के श्रमिक श्री प्रेम प्रकाश, पुत्र श्री कर्म सिंह, 2-सी/26-ए, एन. आई. टी. फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसगत, या सम्बन्धित मामला/मामलले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री प्रेम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./73-87/27135.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटिड, एन. आई. टी. फरीदाबाद, के श्रमिक श्री महिन्द्र सिंह, मार्फत राजपूत साईकल वर्कस, गुरुद्वारा रोड़, जवाहर कालोनी, एन आई. टी. फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक, विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री महिन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./74-87/27142.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय हैं कि मैं० इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटिड ,एन. आई. टी. फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रत्न सिंह, पुत्र श्री राम सरूप सिंह, मार्फत राजपूत साईकिल वर्कस, गुरुद्वारा रोड़, जवाहर

कालोनी, एन. आई. टी. फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रत्न सिंह, पुत्र श्री राम सरूप सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गांव/125-87/27150.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० केफको, दौलताबाद रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री प्रयाग यादव, पुत्र श्री कान्ता यादव, मार्फत श्री महाबीर त्यागी, औरगेनाईजर, इण्टक, दिल्ली रोड़, गुड़गांव, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री प्रयाग यादव की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गांव/123-87/27157.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० कैफको, दौलताबाद रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री लोरिक सिंह, पुत्र श्री राम सिंगार, मार्फत श्री महाबीर त्यागी, औरगेनाईजर, इण्टक, दिल्ली रोड़, गुड़गांव, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं ।

क्या श्री लोरिक सिंह की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./गुड़गांव/127-87/27164.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० केफको, दौलताबाद रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री चन्द्र भान, पुत्र श्री कांशी राम मार्फत श्री महाबीर त्यागी, औरगेनाईजर इंटक, दिल्ली रोड़, गुड़गांव, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायानिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री चन्द्र भान, पुत्र श्री कांशी राम, की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?